प्रेस नोट
दिनांक 06.12.2024

वार्षिक निरीक्षण पुलिस लाइन

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा शुक्रवार परेड के उपरान्त रिजर्व पुलिस लाइन का किया वार्षिक निरीक्षण, संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देशः–

आज दिनांक 06.12.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन गोण्डा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ग्रहण की तत्पश्चात परेड का निरीक्षण किया। परेड के निरीक्षण के दौरान क्रमशः उप निरीक्षक एवं आरक्षियों/महिला आरक्षियों की टोलीवार ड्रिल भी कराई तथा टर्नआउट को चेक कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। तत्पश्चात महोदय रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा पहुंचकर क्वार्टर गार्ड पर सलामी लेकर प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय एच0ओ0बी0 रजिस्टर व सी0सी0टी0वी0 को चेक कर उनकी क्रियाशीलता और अधिक सक्रिय करने व क्वार्टर गार्ड परिसर में अतिरिक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने हेतु प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा शस्त्रागार का निरीक्षण कर शस्त्रों की साफ–सफाई व रखरखाव के सम्बन्ध में आर्मोरर को दिशा–निर्देश दिए साथ ही कैस कार्यालय पहुंचकर वेतन प्रपत्रों व अन्य पत्रावलियों को चेक किया गया तथा सही से रखरखाव व अद्यतनन करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा परिवहन शाखा पहुंचकर वाहनों के उचित रखरखाव, देख रेख, साफ–सफाई तथा सर्विस आदि कराते रहने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही वाहनों में लगे उपकरणों का उपयोग कराकर देखा गया तथा पायी गयी कमियों को तत्काल दूर कराने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा स्टोर रूम को चेक कर आवश्यकतानुसार स्टोर प्रभारी को थानो में सामान वितरण करने तथा सामानों का सही से रखरखाव करने सम्बन्धी दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा पुलिस लाइन बैरक, पुलिस कैंटीन, आवासीय भवन, परिसर का निरीक्षण कर प्राप्त कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा पुलिस लाइन मेस का निरीक्षण कर भोजन को चखा गया तथा जवानों को स्वादिष्ट एवं पौष्टिक युक्त भोजन तैयार करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। तत्पश्चात महोदय द्वारा आदेश कक्ष में पुलिस कर्मियों का अर्दली कर विभिन्न गार्दो के रजिस्टरों को चेक किया गया एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक व अन्य पुलिस अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06.12.2024

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा "डॉ0 भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस" व "जुम्मे की नमाज" के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु को0 नगर क्षेत्रातंर्गत भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

गोण्डा। आज दिनांक 06.12.2024 को जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा "डॉ0 भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस" व "जुम्मे की नमाज" के दृष्टिगत पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में पैदल गस्त किया गया। गस्त के दौरान ड्यूटी पर लगे जवानों के पास मौजूद दंगा नियंत्रण उपकरणों को चेक किया गया तथा चिन्हित हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों व मस्जिदों में शांतिव्यवस्था ड्यूटी में लगे जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। महोदय द्वारा शहर क्षेत्र के मौलवी, धर्मगुरूओं से संवाद स्थापित कर जुमा की नमाज़ को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया गया। संवेदनशील व मिश्रित आबादी क्षेत्रो में ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी कर अराजकतत्वों/संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी गयी। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गयी। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की गयी।

इसी प्रकार " **जुम्मे की नमाज** " के दौरान जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह कर मौलवी, धर्मगुरूओं से संवाद स्थापित कर जुमा की नमाज़ को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 06.12.2024, थाना कोतवाली नगर

जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की फर्जी बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-745/2024, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. हौसिला राम पुत्र श्याम बिहारी निवासी पचरन थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा को अम्बेडकर चौराहा वेंकटाचार्य लान के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी रसिक बिहारी तिवारी पुत्र राम अभिलाख तिवारी निवासी ग्राम बनघुसरा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतावली नगर को सूचना दिया की विपक्षीगण द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी करके वादी जमीन की चौहद्दी दर्शाकर फर्जी तरीके से बैनाम करा लिया है। तहरीर के आधार थाना को0नगर पर मु0अ0सं0-745/2024, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस बनाम हौसिला राम आदि 04 अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 06.12.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त हौसिला राम पुत्र श्याम बिहारी निवासी पचरन थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा को अम्बेडकर चौराहा वेंकटाचार्य लान के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हौसिला राम पुत्र श्याम बिहारी निवासी पचरन थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-745/2024, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना को0 नगर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा
02. हे0का0 चन्द्रशेखर यादव
03. का0 धर्मेन्द्र कुमार
04. का0 शशांक द्विवेदी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 06.12.2024, मानिटरिंग सेल,

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिका के साथ छेडछाड़ करने के आरोपी अभियुक्तों को हुई 03-03 वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को रूपये 5,000/- अर्थदण्ड की सजा-

दिनांक 20.08.2016 को थाना कर्नलगंज पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी नाबालिक लड़की के साथ विपक्षीयों द्वारा छेड़छाड़ किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज पर मु0अ0सं0-343/2026, धारा 354ए भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 रामदरश यादव द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 22.09.2016 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री नम्रता अग्रवाल द्वारा थाना कर्नलगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अनूप प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर व थाना कटराबाजार के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 06.12.2024 को दोषी अभियुक्तों को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. विजय पुत्र शिवबालक निवासी ग्राम कुरीबढइनपुरवा थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।
02. अजय पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम कुरीबढइनपुरवा थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-343/2026, धारा 354ए भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।